GCMS-2025/31

APP-A

Crim-I

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

सरकार बनाम शीला

किस्म मुकदमा 136 L.R नं. 3 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
7/1/25	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। जॉच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना पत्र पर बहस कर प्रार्थना पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 15/1/25 को पेश हो।	
15/1/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वााकै ग्राम ताथेड़ खसरा नं0 1297/480 रकबा 0.1364 है0 भूमि संजू पत्नि पंकज जायसवाल हिस्सा पूर्ण जाति कलाल निवासी 5–के–23 महावीर नगर तृतीय कोटा नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वाकै ग्राम–ताथेड़ खसरा नं0 1424/1080 रकबा 0.16 है0 भूमि शीला अग्रवाल पत्नि योगेश अग्रवाल हिस्सा पूर्ण जाति महाजन निवासी 5–बी–35 महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त दोनो खातेदारों की तरमीम एक दूसरे के स्थान पर कर दी व इनके मध्य में किसी अन्य खसरा नं0 1364/1080 रकबा 0.21 है0 जो कि वर्तमान में अनिल भटेजा पुत्र मोहनलाल जाति पंजाबी नि0 5/58 चिरंजीवी विहार उ0प्र0 गाजियाबाद की तरमीम कर दी गई है। जबकि मौके पर दोनो प्रार्थियान एक दूसरे के समीप (पडौस) में बैठे/स्थित है। मुताबिक विक्रय पत्र वर्तमान मौका/कब्जे की स्थिति अनुसार तरमीम किया जाना उचित है। यहां यह स्पष्ट है कि तरमीम के समय दिशा का अंकन गलत दर्ज किया गया है। अतः उक्त प्रविष्टियों को दुरूस्त करने के आदेश करने की क्षेत्राधिकारिता श्रीमान न्यायालय को है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त शुद्धि की जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि उक्त दोनो खातेदारों की तरमीम एक दूसरे के स्थान पर कर दी व इनके मध्य में किसी अन्य खसरा नं0 1364/1080 रकबा 0.21 है0 जो कि वर्तमान में अनिल भटेजा पुत्र मोहनलाल जाति पंजाबी नि0 5/58 चिरंजीवी विहार उ0प्र0 गाजियाबाद की तरमीम कर दी गई है। जबकि मौके पर दोनो प्रार्थियान एक दूसरे के समीप (पडौस) में बैठे/स्थित है। मुताबिक विक्रय पत्र वर्तमान मौका/कब्जे की स्थिति अनुसार तरमीम किया जाना उचित है। तरमीम के समय दिशा का अंकन गलत दर्ज किया गया है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर ग्राम ताथेड़ की भूमि खसरा नं0 1297/480, खसरा नं0 1424/480 एवं खसरा नं0 1364/1080 की तरमीम विक्रय पत्र वर्तमान मौका/कब्जे की स्थिति अनुसार तरमीम किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा उपखण्ड अधिकारी कोटा	